भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 357
(19 जुलाई, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के तहत बेरोजगारी भत्ता

357. श्री फ्रांसिस्को सर्दिन्हा:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना (मनरेगा) के तहत पिछले दो वित्तीय वर्षों (2020-21) और (2021-22) के दौरान कितने परिवारों को गारंटीशुदा रोजगार की पेशकश की गई है;

(ख) क्या काम की पेशकश नहीं होने की स्थिति में लाभार्थी मनरेगा के तहत बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र हैं; और

(ग) यदि हां , तो उक्त अवधि के दौरान ऐसे लाभार्थियों की कुल संख्या और दिए गए कुल बेरोजगारी भत्ते का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): पिछले दो वित्तीय वर्षों 2020-21 और 2021-22 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा) के तहत जिन परिवारों को रोजगार का प्रस्ताव दिया गया है, उनका ब्यौरा निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	2020-21	2021-22
वह परिवार जिनको रोजगार का प्रस्ताव दिया गया है (आकड़े करोड़ में)	8.54	8.02

(ख): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा) की धारा 7(1) के अनुसार, "यदि योजना के तहत रोजगार के लिए आवेदन करने वाले आवेदक को आवेदन प्राप्त होने या अग्रिम आवेदन के मामले में जिस तारीख से रोजगार मांगा गया हो , जो भी बाद में हो, के पन्द्रह दिनों के भीतर रोजगार नहीं दिया जाता है तो वह इस धारा के अनुसार दैनिक बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार होगा।

(ग): वित्तीय वर्ष 2020-21 में महात्मा गांधी नरेगा के तहत बेरोजगारी भत्ते का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।.

वित्तीय वर्ष 2021-22 में महात्मा गांधी नरेगा के तहत बेरोजगारी भत्ते का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध-।। में दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 19.07.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत आतारांकित प्रश्न संख्या357 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में महात्मा गांधी नरेगा के तहत बेरोजगारी भत्ते का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण			
क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राशि (रुपए में)	
		भुगतान की जाने वाली राशि (रुपए में)	भुगतान की गई राशि (रुपए में)
1	2	3	4
1	आंध्र प्रदेश	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0
3	असम	9386	0
4	बिहार	338631	0
5	छत्तीसगढ़	91629	0
6	गोवा	0	0
7	गुजरात	38091.75	0
8	हरियाणा	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	0	0
10	जम्मू और कश्मीर	32795.25	0
11	झारखंड	77170.5	0
12	कर्नाटक	591009	0
13	केरल	800.25	0
14	लद्दाख	0	0
15	मध्य प्रदेश	5008.5	0
16	महाराष्ट्र	106858.75	0
17	मणिपुर	0	0
18	मेघालय	0	0
19	मिजोरम	0	0
20	नागालैंड	0	0
21	ओडिशा	97803.6	0
22	पंजाब	4554	0
23	राजस्थान	496739	0
24	सिक्किम	1316.25	0
25	तमिलनाडु	1152	0
26	तेलंगाना	0	0
27	त्रिपुरा	410	0
28	उत्तर प्रदेश	139221.75	0
29	उत्तराखंड	0	0
30	पश्चिम बंगाल	852719.5	0
31	अण्डमान और निकोबार	0	0
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	0
33	लक्षद्वीप	0	0
34	पुदुचेरी	0	0
	कुल	**28,85,296.1**	**0**

लोक सभा में दिनांक 19.07.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत आतारांकित प्रश्न संख्या 357 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में महात्मा गांधी नरेगा के तहत बेरोजगारी भत्ते का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार विवरण			
क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राशि (रुपए में)	
		भुगतान की जाने वाली राशि (रुपए में)	भुगतान की गई राशि (रुपए में)
1	2	3	4
1	आंध्र प्रदेश	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0
3	असम	135184	0
4	बिहार	124888.5	0
5	छत्तीसगढ़	0	0
6	गोवा	0	0
7	गुजरात	1063991.25	0
8	हरियाणा	9607.5	0
9	हिमाचल प्रदेश	0	0
10	जम्मू और कश्मीर	0	0
11	झारखंड	27731.25	0
12	कर्नाटक	9373315.83	0
13	केरल	262788.75	1310
14	लद्दाख	0	0
15	मध्य प्रदेश	40530	0
16	महाराष्ट्र	729554	1116
17	मणिपुर	0	0
18	मेघालय	88140	0
19	मिजोरम	0	0
20	नागालैंड	0	0
21	ओडिशा	0	0
22	पंजाब	0	0
23	राजस्थान	1798378.25	0
24	सिक्किम	0	0
25	तमिलनाडु	33306	0
26	तेलंगाना	0	0
27	त्रिपुरा	16218	0
28	उत्तर प्रदेश	136884	0
29	उत्तराखंड	0	0
30	पश्चिम बंगाल	66083.25	0
31	अण्डमान और निकोबार	0	0
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	0
33	लक्षद्वीप	0	0
34	पुदुचेरी	0	0
	कुल	**1,39,06,600.58**	**2,426**